

01

प्रपत्र 'क'

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई. डी. सं. (कार्यालय प्रयोग के लिए)

86/1718

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन,
बिहार, पटना।



कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीवन संख्या

105429

29/6/17

1. आवेदक का नाम : अनूप कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

2. पूरा पता : 202, माँ छिन्नमस्तिके कॉम्प्लेक्स, शेखपुरा मोड़, बेली रोड, पोस्ट-बी0भी0 कॉलेज, पटना,

पीन कोड - 800014

3. मांगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) :

(i) संकल्प, ज्ञापांक- ई.3/पी 1-ए-8-916/93-5008 (S) दिनांक-22.07.1998 के आलोक में।

कृपया वर्ष 2004 में AMIE कोटा (10%) अंतर्गत अधिसूचित (Notified) रिक्तियाँ उपलब्ध करवाई जाय साथ ही संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न की जाय।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

(1) मैंने दस (10) रुपये का पोस्टल आर्डर (भुगतान आदेश) सं. ^{24/554029} ~~23-06-17~~ दिनांक ²⁸⁻⁰⁶⁻¹⁷ जो कि लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में भुगतये है। इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

(2) मैं दस (10) रुपये तिथि ²⁸⁻⁰⁶⁻¹⁷ को रसीद सं. ^{24/554029} से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।

(3) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरा कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

641/40910
30-6-17

40910
30-6-17

स्थान पटना

तिथि 27/06/17

Anup Singh
27.06.17

आवदेक का हस्ताक्षर - अनूप कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

दूरभाष संख्या - 9835294141

पत्राचार का पूरा पता - 202, माँ छिन्नमस्तिके कॉम्प्लेक्स,

शेखपुरा मोड़, बेली रोड, पोस्ट-बी0भी0 कॉलेज, पटना,

पीन कोड - 800014

Anup Singh
30/6

प्रपत्र 'घ'
(सूचना उपलब्ध कराना)
(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई0डी0सं0-86/17-18 4298(E)we पटना, दिनांक-26/7/17

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री अनूप कुमार सिन्हा "अधिवक्ता",
202, माँ छिन्नमस्तिके कॉम्प्लेक्स,
शेखपुरा मोड़, बेली रोड, पोस्ट-बी०भी०कॉलेज,
पटना, पिन-800014

महाशय,

यह आपके सूचना-आवेदन दिनांक-27.06.2017, जो इस विभाग में दिनांक-29.06.2017 को प्राप्त हुआ है, (आई0डी0सं0-86/17-18) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. याचित सूचना, उप सचिव (प्र०को०), प्रभारी प्रशाखा-02, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6665(S)we दिनांक-24.07.2017 से प्राप्त है, को सानुलग्नक संलग्न किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

शैलेन्द्र कुमार
26/7/17

(शैलेन्द्र कुमार)

पटना, दिनांक-26/7/17

ज्ञापांक-4298(E)

प्रतिलिपि: उप सचिव (प्र०को०), प्रभारी प्रशाखा-02, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6665(S)we दिनांक-24.07.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

पथ निर्माण विभाग,
कम्प्यूटरांकृत निर्गत
पंजीयन सं.
319245
दिनांक-26/7/17

शैलेन्द्र कुमार
26/7/17
(शैलेन्द्र कुमार)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

04

पत्र संख्या : प्र०2/स्था०-सूचना-20-20/2017 6665(S)^{an} पटना, दिनांक..... 24/7/17

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार
उप सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत श्री अनूप कुमार सिन्हा द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में (आई०डी० संख्या-86/2017-18)।

प्रसंग आपका पत्र संख्या-3314 (ई०) अनु० दिनांक 04.07.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त सूचना-आवेदन दिनांक 27.06.2017 से मांगी गयी सूचना के संबंध में कहना है कि वर्ष 2004 में विभागीय अधिसूचना संख्या-3665 (एस) दिनांक 27.05.2004 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जनवरी 2003 से दिसम्बर 2003 तक उपलब्ध अविभाजित बिहार राज्य के बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 की ए०एम०आई०ई० कोटा सहित कोटावार रिक्तियाँ घोषित की गई है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

794/40को० (अ०)
25-7-17

240को०
25-7-17

श्री अनूप
23/7

309
26/07/17



बिहार सरकार
पब्लिक निर्माण विभाग
अभियंता

3665/95

3665/95

पटना दिनांक 27-05-04

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुसूची-2 के पार्ट-1 नियम-1 के अनुसार
अभियंता सेवा वर्ग-2 में नियुक्ति सीपीईसी तथा प्रोन्नति या अक्षरण द्वारा की जाती
है। उक्त संहिता के नियम-2 के अनुसार राज्यपाल को प्रतिबन्ध यह निर्दिष्ट करना है कि बिहार
अभियंता सेवा वर्ग-2 में किसी रिक्ति को प्रोन्नति द्वारा नहीं भरा जायेगी।

22 विभाग द्वारा निर्गत लेटर-नम्बर-5008 दिनांक-22-07-98 के अनुसार
बिहार अभियंता सेवा वर्ग-2 में उपरोक्त रिक्तियों को आदेश निर्गत की तिथि से निम्नरूप से भरने
का प्रावधान किया गया है, जो आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी है:-

- 1- कनिष्ठ अभियंता के सीपी से प्रोन्नति द्वारा - 20 प्रतिशत
- 2- एएसआई/सीपी अथवा समकक्ष अहर्ता प्राप्त - 10 प्रतिशत
- 3- कनिष्ठ अभियंता का कोटा सीपी अहर्ता द्वारा नियुक्ति - 62 प्रतिशत

3 2003 तक उपरोक्त अधिवाणित बिहार राज्य के बिहार अभियंता सेवा वर्ग-2 में कुल 116 रिक्त सीपी
सौलक्ष्य बंद रिक्त हैं। इस प्रकार उपरोक्त 116 रिक्तियों को निम्नलिखित रूप से कोटावार
भरिका किया जाता है:-

- 1- कनिष्ठ अभियंता सर्वग से प्रोन्नति का कोटा - 47 पद
- 2- एएसआई/सीपी कनिष्ठ अभियंता से - 17 पद
- 3- प्रोन्नति का कोटा 11 पद बिहार एवं 6 पद झारखण्ड के लिए अनुमान्य
- 4- सीपी अहर्ता से नियुक्ति का कोटा - 52 पद
- 5- 35 पद बिहार एवं 17 पद झारखण्ड के लिए अनुमान्य

बिहार राज्यपाल के आदेश से:

सरकार के उप सचिव,
पब्लिक निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना दिनांक 27-05-04

प्रतिनिधि, दो अतिरिक्त प्रतिभों के साथ महालेखाकार, बिहार, बीरधर प्रसाद प्रसाद,
पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनाई एवं बिहार राज्यपाल के आगत
में प्रकाशनार्थ अर्पण रित।

केवल अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,
गुलजारबाग, पटना-7 के लिए।

सरकार के उप सचिव,
पब्लिक निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

3665/95
3665/95
3665/95
3665/95
3665/95
3665/95
3665/95
3665/95
3665/95
3665/95

3665/95

3665/95